छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 10.04.18

क्रमांक एफ 10–9/2018/16 :– राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

1. योजना का नाम **"असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना"** होगा।
2. परिवार की प्रथम दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुये पंजीकृत कर्मकारों की ऐसे समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होनें निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।
3. कक्षा पहली में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा शाला प्रवेश से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन्हें योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
4. प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एकमुश्त देय होगी –

क्र0	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1सें 5वीं तक	500/–	750/–
2.	कक्षा 6वीं से 8वीं तक	750/–	1,000/–
3.	कक्षा 9वीं से 12वीं तक	1,000/–	1,500/–
4.	स्नातक डिप्लोमा कक्षा जैसेः– बी.ए./बी.एस.सी./बी. कॉम आदि	1,500/–	2,000/–
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसेः– एम.ए./एम.एस.सी./एम. कॉम. आदि	2,500/–	3,000/–
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अध्ययनरत होने पर	3,000/–	4,000/–
7	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी., एम.फिल. या भोध कार्य करने पर	4,000/–	5,000/–

5. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

...2...

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

1. प्रदेश के किसी भी जिले में छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत समस्त प्रवर्गों के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों (ठेका श्रमिक, घरेलु महहिला कामगार, हमाल एवं सफाई कर्मकारों को छोड़कर) के प्रथम दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।
2. यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी। एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि वापस जमा करनी होगी।
3. ऐसे छात्र/छात्रा जो अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिये हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. हितग्राही को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. आवश्यक दस्तावेज :- अ. प्राचार्य/प्रधानपाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
   ब. बैंक अकाउंट विवरण

(द) स्वीकृति का अधिकार :- योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

...3...

पृष्ठांकन एफ 10–9/2018/16 **नया रायपुर, दिनांक** 10.04.18

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला– .... (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)।
7. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)।
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग